Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी

पत्रांक– 5317 /33–1 / दिनांक, झांसी, अप्रैल 10, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– Proposed forest land diversion for laying of natural gas pipeline from Jhansi-Auraiya-Phoolpur by GAIL (India) Ltd. Lucknow having extend 2.064771643 ha (Forest Division of Jhansi, Orai, Auraiya, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Unnao, Rae Bareily, Pratapgarh and Allahabad) with filling 153 trees & 5 poles-reg.

संदर्भ– आपका कार्यालय पत्रांक 2680/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/अर्दस/23971/2017 दिनांक 19.03.2018।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी उरई द्वारा पत्रांक 2591/33–1 दिनांक 06.04.2018 व प्रभागीय वनाधिकारी झांसी द्वारा पत्रांक 4343/15–1 दिनांक 27.03.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपर्युक्त विषयक संशोधित अभिलेख तीन–तीन प्रतियों में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– 1–उपरोक्तानुसार

2– प्रभागीय वन अधिकारी झांसी का पत्रांक 4343/15–1 दिनांक 27.03.2018 एवं प्रभागीय वनाधिकारी जालौन वन प्रभाग उरई का पत्रांक 2591/33–1 दिनांक 06.04.2018 की प्रति।

भवदीय

10/4/18
(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– /समदिनांक।

प्रतिलिपि – श्री प्रदीप यादव, मुख्य प्रबन्धक निर्माण गेल इण्डिया लखनऊ, आर0सी0एफ0 विल्डिंग/टी0सी0/10 बीं विभूतिखण्ड, गोमती नगर लखनऊ 226010 को इस आशय से प्रेषित कि किसी भिज्ञ प्रबन्धक को इस कार्यालय से संशोधित अभिलेख प्राप्त कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनउ के कार्यालय में प्राप्त कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक – 2591 / 33-1 / उरई, दिनांक, अप्रैल 06 2018।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी।

विषयः– गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 36/24 नैचुरल गैस पाइप लाइन झाँसी–औरइया–फूलपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयक के क्रम मे गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 36/24 नैचुरल गैस पाइप लाइन झाँसी–औरइया–फूलपुर पाइप लाइन के अन्तर्गत कोच–नदीगांव रोड का वन अधिकार अधिनियम (एफ0आर0ए0) चार प्रतियों में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बी.आर. अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी
जालौन सा0वा0,वन प्रभाग उरई।

पृ0सं0– / समदिनांक।

प्रतिलिपि–वरि0 प्रबंधक (निर्माण) गेल इण्डिया लि0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की एफ0आर0ए0 की चार प्रतियां लेकर वन संरक्षक महोदय झांसी के कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(बी.आर. अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी
जालौन सा0वा0,वन प्रभाग उरई।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 4343 / 15-1 दिनांक, झांसी, मार्च 27 2018

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line. Jhansi

सेवा में,
✓वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी

विषयः— गेल इण्डिया लि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24''/36'' नेचुरल गैस पाइप लाइन, झांसी, औरैया, फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरैया, मानपुर देहात, कानपुर नगर उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भः— भारत सरकार का पत्रांक 8बी / यू0पी0 / 09 / 77 / 2017 / 909, दिनांक 16.03.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक—2680 / 11-C-FP(UP)OTHER/23971/2017, दिनांक 19.03.2018

महोदय,

उक्त विषयक संदर्भित पत्र में अंकित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण / आख्या निम्न प्रकार है :—

1. प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत एफ0आर0ए0 2006 प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।

2. प्रस्ताव के भाग—2 में वृक्षों / पौधों की विसंगति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में भारत सरकार के पत्रांक 8—412 / 85-FC, दिनांक 22.05.1986 द्वारा गेल इण्डिया लि0 को झांसी वन प्रभाग की लकारा वन ब्लाक की 1.49 एकड़ / 0.60298 हे0 आरक्षित वनभूमि पर गैर पाइप लाइन बिछाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रस्ताव में लकारा वन ब्लाक की उक्त 1.49 एकड़ / 0.60298 हे0 वनभूमि पर पुनः गैस पाइप लाइन डालना प्रस्तावित किया गया है। उक्त 518 वृक्ष लकारा वन ब्लाक की उक्त 1.49 एकड़ / 0.60298 हे0 आरक्षित वनभूमि पर अवस्थित है। जिसको प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया था। प्रयोक्ता अभिकरण ने अवगत कराया है कि उक्त 1.49 एकड़ / 0.60298 हे0 आरक्षित वनभूमि के पुनः गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रथक से कार्यवाही की जा रही है। अतः उक्त प्रस्ताव में 1.49 एकड़ / 0.60298 हे0 वनभूमि पर स्थित 518 वृक्षों को हटा दिया गया है।

वर्तमान प्रस्ताव में उक्त आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त 0.01516 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। जिस पर वृक्षों की संख्या शून्य है।

अतः बिन्दुवार आख्या अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2680 / 11-C-FP(UP)OTHER/23971/2017, दिनांक 19.03.2018 के कम में ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक, औरैया ।
3. मुख्य प्रबन्धक (निर्माण) गेल इण्डिया लि0 कार्यालय आर0सी0एफ0 बिल्डिंग TC/10 V विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ ।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी